

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 1761

दिनांक, 08.03.2016/18 फाल्गुन, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

**अवसंरचना परियोजना का प्रभाव**

†1761. श्री राजेश रंजन:

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वामपंथी चरमपंथ से प्रभावित (एलडब्ल्यूई) के 117 जिलों में 'आम अनुमोदन' प्राप्त वन क्षेत्र पर बढ़ते संव्यवहार्यता और पर्यावरण प्रभाव पर विचार किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस छुट प्राप्त क्षेत्र में निर्माण किए जाने वाली सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन जिलों में मूल रूप से आवंटित पांच हेक्टेयर में सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण पूरा किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार के पास यह दर्शाने के लिए कोई आंकड़ा है कि इन सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं की एलडब्ल्यूई में गिरावट आई है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) : जी नहीं। वर्तमान आम अनुमोदन पांच हेक्टेयर वन भूमि से अधिक नहीं है जो

31 दिसम्बर, 2018 तक वैध है।

(ख) और (ग): सरकार ने छूट प्राप्त 5 हेक्टेयर से अनधिक क्षेत्रों में 14 श्रेणियों में कार्य करने के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया है अर्थात् (i) स्कूल (ii) डिस्पेंसरी/अस्पताल (iii) बिजली एवं दूर संचार लाइनें (iv) पेयजल संबंधी परियोजनाएं (v) जल/वर्षा जल संचयन ढांचा (vi) लघु सिंचाई नहरें (vii) ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोत (viii) कौशल स्तरोन्नयन/व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (ix) विद्युत सब-स्टेशन (x) ग्रामीण सड़कें (xi) संचार चौकी (xii) गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस थानों/आउट पोस्टों/सीमा चौकियों/निगरानी टॉवरों जैसी पुलिस स्थापनाएं (xiii) भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल, टेलीफोन लाइन एवं पेयजल आपूर्ति लाइनें डालना (xiv) सरकारी विभाग द्वारा मेडीकल कॉलेजों की स्थापना।

(घ) और (ङ): सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी एजेंसियों के माध्यम से तैयार और निष्पादित की जाती हैं। परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यों को संपन्न करना एक सतत प्रक्रिया है।

(च): सरकार ने सुरक्षा, विकास, वनवासियों के अधिकार और हकदारी सुनिश्चित करने तथा अवबोधन प्रबंधन की चार आयामी रणनीति अपनाई है जिसके परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है।